

## चंडीगढ़ का मेयर चुनाव: नगर नगिम सुधारों का उत्प्रेरक

यह एडिटरियल 27/03/2024 को 'द हट्टि' में प्रकाशित [“It is time for comprehensive reforms to municipal elections”](#) लेख पर आधारित है। इसमें नगर नकियाय के चुनावों के आयोजन से संबद्ध चुनौतियों के बारे में चर्चा की है और इन चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये राज्य चुनाव आयोग की भूमिका में वसितार की आवश्यकता का सुझाव दिया गया है।

### प्रलमिस के लिये:

[शहरी स्थानीय शासन, पंचायतें, सर्वोच्च न्यायालय, राज्य नरिवाचन आयोग, 74वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992, संवधान का अनुच्छेद 142।](#)

### मेन्स के लिये:

चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बारे में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, स्थानीय शहरी नकियायों को सशक्त बनाने की चुनौतियों और समाधान।

चंडीगढ़ मेयर चुनाव के संबंध में [सर्वोच्च न्यायालय](#) के हाल के नरिणय ने नगर नकियाय चुनावों पर व्यापक रूप से वचिार करने की आवश्यकता को प्रेरित किया है। जबकि [लोकसभा और राज्य वधिनसभाओं](#) के चुनाव अपने समयबद्ध अभ्यास, संगठनात्मक दक्षता और सत्ता के नरिबाध हस्तंतरण के कारण सराहनीय लोकतांत्रिक अभ्यासों के रूप में सामने आते हैं, पंचायतों और नगर नकियायों जैसे स्थानीय सरकारों के चुनावों पर हमेशा यही बात लागू होती नज़र नहीं आती।

न्यायालय के हस्तक्षेप ने एक शहर में एक वशिष्ट मुद्दे को तो संबोधित कर दिया, लेकिन यह पूरे भारत में स्थानीय सरकारों को सुदृढ़ करने के लिये पर्याप्त सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

## चंडीगढ़ मेयर चुनाव, 2024 से संबद्ध वविाद:

- चुनाव का महत्त्व:** [चंडीगढ़ मेयर चुनाव](#) का अत्यंत महत्त्व रहा था क्योंकि इसने प्रमुख वपिक्षी दलों के बीच एक आरंभिक गठबंधन का संकेत दिया था, जो सत्तारूढ़ दल के लिये एक एकिकृत चुनौती पेश कर रहा था। आगामी लोकसभा चुनावों के लिये अन्य राज्यों में भी संभावित सहयोग के लिये चंडीगढ़ मेयर चुनाव एक आधार प्रदान कर रहा था।
- आरंभिक स्थगन:** सर्वप्रथम, मूल रूप से 18 जनवरी को नरिधारित मतदान तिथि को पीठासीन अधिकारी के बीमार होने के आधार पर स्थगित कर दिया गया। इसके बाद, [UT प्रशासन](#) ने 6 फ़रवरी को नई मतदान तिथि के रूप में पेश किया। हालाँकि, वपिक्षी दलों ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की, जिसके परिणामस्वरूप 30 जनवरी को चुनाव कराना तय किया गया।
- चुनाव के दिन अवव्यवस्था:** चुनाव के दिन सत्तारूढ़ दल की 16 वोटों के साथ जीत और वपिक्षी दलों की 12 वोटों के साथ हार की घोषणा से वविाद छड़ि गया। पीठासीन पदाधिकारी द्वारा आठ मतों को अवैध घोषित कर दिया गया था। वपिक्ष ने पीठासीन अधिकारी पर वोटों को गलत तरीके से अमान्य करने का आरोप लगाते हुए चुनाव परिणाम पर अपनी चिता जताई।
- कानूनी लड़ाई:** न्याय की तलाश में वपिक्षी दलों ने तुरंत उच्च न्यायालय का रुख किया। उसके नरिणय से असंतुष्ट होकर फरि वे सर्वोच्च न्यायालय के पास पहुँचे जसिने लोकतंत्र को अकषुणण रखने के प्रतः अपने समर्पण की पुष्टि करते हुए मामले में आलोचनात्मक टपिपणयि जारी की।
- मेयर का इस्तीफा:** बढ़ते वविाद के बीच नवनरिवाचित मेयर ने इस्तीफा देने का वकिल्प चुना।
- सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय:** 20 फ़रवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपना नरिणय दिया, जहाँ इसने पूर्व के चुनाव परिणाम को पलट दिया और वपिक्षी गठबंधन के उम्मीदवार को असल वजिता घोषित किया।
  - भारत के [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने चुनाव परिणामों को पलटने के लिये संवधान के अनुच्छेद 142 का उपयोग किया।


## चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बारे में सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय:

- आठ मतपत्रों को अवैध करने का जानबूझकर किया गया प्रयास:** चंडीगढ़ मेयर चुनाव के पीठासीन अधिकारी ने गलत तरीके से वजिती हुए दल के पक्ष में जानबूझकर आठ मतपत्रों को अवैध/अमान्य करने का प्रयास किया।
- पीठासीन अधिकारी का गैर-कानूनी आचरण:** न्यायालय ने कहा कि पीठासीन अधिकारी के आचरण की दो स्तरों पर नदि की जानी चाहिये।
  - सबसे पहले, अपने आचरण से उसने गैर-कानूनी तरीके से मेयर चुनाव का परिणाम बदल दिया।
  - दूसरा, न्यायालय के समक्ष बयान दर्ज कराने में अधिकारी ने 'सपष्ट रूप से झूठ' (patent falsehood) व्यक्त किया जसिके लिये उसे

जवाबदेह ठहराया जाना चाहिये।

- **कारण पृच्छा नोटिस:** न्यायिक रजिस्ट्रार को निर्देश दिया गया है कि वह पीठासीन अधिकारी को समान कर पूछे कि उसके वरिद्ध क्यों नहीं कार्रवाई की जानी चाहिये।
- **चुनावी लोकतंत्र की रक्षा करना:** सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिये बाध्य है कि चुनावी लोकतंत्र की प्रक्रिया विफल न हो। लोकतंत्र की पूरी इमारत सदिधांतों पर ही निर्भर करती है।
  - न्यायालय को यह सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाना चाहिये कि चुनावी लोकतंत्र का मूल जनादेश संरक्षित रहे।

#### Administrative structure of India



//

### भारत में शहरी स्थानीय सरकार के लिये प्रमुख प्रावधान:

- **74वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992:** भारत में 'शहरी स्थानीय सरकार' (Urban Local Government) शब्द लोगों द्वारा अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शहरी क्षेत्र के शासन को दर्शाता है। शहरी सरकार की प्रणाली को वर्ष [74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992](#) के माध्यम से संवैधानिक बनाया गया था।
- **संवैधानिक अधिदेश:**
  - **74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम** ने भारत के संविधान में एक नया **भाग IX-A** शामिल किया। इस भाग को 'नगरपालिकाएँ' (The Municipalities) कहा गया है और इसमें **अनुच्छेद 243-P से 243-ZG** तक के प्रावधान शामिल हैं।
  - इसके अलावा, इस अधिनियम ने संविधान में एक नई **बारहवीं अनुसूची** भी जोड़ी है। इस अनुसूची में नगर निकायों के अठारह कार्यात्मक मद

शामल है। यह अनुच्छेद 243-W से संबद्ध है।


- इस अधिनियम ने नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इसने उन्हें संवधान के न्याययोग्य (justiciable) हिससे के दायरे में ला दिया है।

- **नगर निकायों के चुनाव:** मतदाता सूची की तैयारी और नगर निकायों के सभी चुनावों के आयोजन का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण [राज्य नरिवाचन आयोग](#) में नहिति है। राज्य वधियकि नगर निकायों के चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध में उपबंध कर सकती है।
- **भारत में शहरी स्थानीय सरकार की संरचना:** [शहरी स्थानीय शासन](#) में आठ प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय शामिल हैं:
  - **नगर नगिम (Municipal Corporation):** [नगर नगिम](#) आमतौर पर बड़े शहरों, जैसे बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि में पाए जाते हैं।
  - **नगरपालिका (Municipality):** छोटे शहरों/कस्बों के लिये [नगरपालिका](#) का प्रावधान है। नगरपालिकाओं को प्रायः नगरपालिका परिषद, नगरपालिका समिति, नगरपालिका बोर्ड आदि अन्य नामों से भी पुकारा जाता है।
  - **अधिसूचित क्षेत्र समिति (Notified Area Committee):** अधिसूचित क्षेत्र समितियाँ तेज़ी से वकिसति हो रहे कस्बों और बुनयादी सुवधियों की कमी रखने वाले कस्बों के लिये स्थापित की जाती हैं।
  - **शहर क्षेत्र समिति (Town Area Committee):** यह छोटे कस्बों में पाई जाती है। इसके पास स्ट्रीट लाइटिंग, जल निकासी सड़कें और साफ-सफाई-रखरखाव जैसे न्यूनतम कार्य होते हैं।
  - **छावनी बोर्ड (Cantonment Board):** यह आमतौर पर छावनी क्षेत्र में रहने वाली नागरिक आबादी के लिये स्थापित किया गया है।
  - **टाउनशिप (Township):** टाउनशिप किसी औद्योगिकी प्लांट के पास स्थापित कॉलोनियों में रहने वाले कर्मचारियों एवं कामगारों को बुनयादी सुवधियाँ प्रदान करने के लिये शहरी सरकार का एक अन्य रूप है।
  - **पोर्ट ट्रस्ट (Port Trust):** पोर्ट ट्रस्ट मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आदि बंदरगाह क्षेत्रों में स्थापित किये गए हैं। यह बंदरगाह का प्रबंधन और देखभाल करता है।
  - **वशेष पर्योजन एजेंसी (Special Purpose Agency):** ये एजेंसियाँ नगर नगिमों या नगरपालिकाओं से संबंधित नरिदष्टि गतविधियों या वशिष्ट कार्यों को पूरा करती हैं।

## भारत में शहरी स्थानीय निकायों के समक्ष बाधाएँ:

- **वलिंबति चुनाव:**
  - नगर निकाय चुनावों के आयोजन में प्रायः देरी की जाती है जिससे संवैधानिक आदेशों का उल्लंघन होता है।
  - 'जनाग्रह' के 'भारत की शहरी प्रणालियों का वार्षिक सर्वेक्षण' (Annual Survey of India's City-Systems), 2023 शीर्षक अध्ययन के अनुसार, सितंबर 2021 तक 1,400 से अधिक नगर निकायों में नरिवाचति परषिदें मौजूद नहीं थीं।
  - 74वें संवधान संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन पर 17 राज्यों की CAG ऑडिट रिपोर्ट में पाया गया कि वर्ष 2015-2021 की ऑडिट अवधि के दौरान इन राज्यों में 1,500 से अधिक नगर निकायों में नरिवाचति परषिदें मौजूद नहीं थीं।
- **परषिदों का अपूरण गठन:**
  - कई बार चुनाव आयोजति होने के बाद भी परषिदों के गठन और प्रमुख अधिकारियों के नरिवाचन में देरी देखी जाती है।
    - उदाहरण के लिये, कर्नाटक में अधिकांश नगर नगिमों में चुनाव परणाम घोषति होने के बाद नरिवाचति परषिदों के गठन में 12-24 माह की देरी देखी गई।
  - परषिदों के गठन और मेयर, डपिटी-मेयर एवं स्थायी समितियों के चुनावों पर वर्णनात्मक आँकड़ा (Summary data) आसानी से उपलब्ध नहीं है।
- **संक्षिप्त कार्यकाल और बार-बार चुनाव:**
  - कुछ शहरी स्थानीय सरकारों में मेयर का कार्यकाल पाँच वर्ष से कम अवधि का है, जिसके कारण बार-बार चुनाव की आवश्यकता होती है। इस परिदृश्य में पाँच वर्ष के मेयर कार्यकाल के मानकीकरण की आवश्यकता है
  - आठ सबसे बड़े शहरों में से पाँच सहति भारत के लगभग 17% शहरों में मेयर का कार्यकाल पाँच वर्ष से कम है।
- **वविक और अनुचति प्रभाव:**
  - चुनाव कार्यक्रम नरिधारति करने में सरकारी अधिकारियों को सौंपा गया 'वविक' (Discretion) देरी की संभावना के बारे में चति पैदा करता है, जो संभवतः राज्य सरकार से प्रभावति होता है।
  - इसके अलावा, अधिकारियों द्वारा चुने गए पीठासीन अधिकारियों की नषिपक्षता को लेकर भी आशंका बनी रहती है, क्योंकि उनकी स्वतंत्रता से समझौता किया जा सकता है, जिससे हतियों का टकराव हो सकता है। इससे चुनावी प्रकरिया की स्वायत्तता एवं अखंडता कमज़ोर हो सकती है।
- **अवसंरचना और संसाधन संबंधी बाधाएँ:**
  - कई शहरी स्थानीय निकाय शहरी आबादी की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिये अपर्याप्त अवसंरचना और वतितीय संसाधनों से जूझ रहे हैं।
  - शहरी स्थानीय सरकार राज्य की समेकति नधिसे सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिये राज्य सरकारों पर बहुत अधिक नरिभर करती है।
  - इससे जल आपूर्ति, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसी आवश्यक सेवाएँ प्रभावी ढंग से प्रदान करने की उनकी क्षमता बाधति होती है।
- **राज्य चुनाव आयोगों (SECs) के लिये सशक्तीकरण और संसाधनों की कमी:**
  - जबकि नगर निकाय चुनावों का दायित्व [SECs](#) को सौंपा गया है, उनके पास प्रायः पर्याप्त सशक्तीकरण और संसाधनों का अभाव होता है।
  - 35 राज्यों और केंद्रशासति प्रदेशों में से केवल 11 ने SECs को वारड परसिमन करने का अधिकार दिया है, जिससे नषिपक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनशिचति करने में उनकी प्रभावशीलता सीमित हो गई है।
- **लोगों की भागीदारी का नमिन स्तर:**
  - साक्षरता और शैक्षिक मानक के अपेक्षाकृत उच्च स्तर के बावजूद, शहरवासी शहरी सरकारी निकायों के कार्यकरण में पर्याप्त रुचि नहीं लेते हैं।

- विशेष प्रयोजन एजेंसियों और अन्य शहरी नकियों की बहुलता जनता को उनकी भूमिका सीमाओं के बारे में भ्रमिति करती है।



## भारत में शहरी स्थानीय सरकारों को सशक्त बनाने के लिये आगे की राह:

- **मानकीकृत चुनाव प्रक्रिया:** एक मानकीकृत चुनाव प्रक्रिया और संरचना को परिभाषित किया जाना चाहिये, जो सभी पहलुओं को नियंत्रित करती हो, जैसे:
  - कार्यकाल समाप्ति से पहले चुनावों का आयोजन, जैसा कि राज्य और संघ चुनावों के लिये गंभीरता से किया जाता है
  - नगर निकाय सीमाओं के उन्नयन एवं वसितार की प्रक्रिया
  - वार्डों के परसीमन एवं आरक्षण की व्यवस्था
  - नगिर्मों की संरचना एवं उनकी नेतृत्व संरचना तय करना
- **राज्य चुनाव आयोगों (SECs) का सशक्तीकरण:**
  - SECs अधिकारियों को पर्याप्त संसाधन, प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करने के साथ शहरी स्थानीय नकियों के लिये स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं समयबद्ध चुनाव कराने के लिये राज्य चुनाव आयोगों की संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करना।
  - नगर निकाय चुनावों के आयोजन में SECs को अधिक स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता देने पर विचार किया जाए, जिसमें मतदाता पंजीकरण से लेकर परिणाम घोषणा तक पूरी चुनावी प्रक्रिया की नगिरानी करने का अधिकार भी शामिल है।
- **जवाबदेही तंत्र:**
  - नगर निकाय चुनावों के आयोजन में किसी भी देरी या अनियमितता के लिये चुनाव अधिकारियों और प्राधिकारों को ज़िम्मेदार ठहराना। यह पारदर्शी जाँच प्रक्रियाओं और उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई के माध्यम से किया जा सकता है।
  - **सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2022) मामले** में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रत्येक पाँच वर्ष पर स्थानीय नकियों के लिये नए चुनाव कराने की संवैधानिक आवश्यकता पर बल दिया था। यह संवैधानिक दायित्व स्वयं में पूर्ण (absolute) है और इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता।
- **वित्तीय सशक्तीकरण:**



